

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

कमांक एफ 5-13/2022/29-2, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21.11.2022

विज्ञप्ति

13 जिला उपभोक्ता आयोगों में अनारक्षित/ महिला सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति के संबंध में।

जिला उपभोक्ता आयोग दुर्ग, कोरबा, रायपुर, जाजंगीर-चांपा, रायगढ़, कांकेर, कबीरधाम, बेमेतरा, बलरामपुर, दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं गरियाबंद में अनारक्षित/ महिला सदस्यों के रिक्त पद की पूर्ति हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के प्रावधान एवं चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी में निम्न अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये हैं।

निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों का विवरण छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की वेबसाइट <http://www.cgscdrc.cg.nic.in> तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट <https://khadya.cg.nic.in> पर अपलोड किया गया है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पंडरी रायपुर को दिनांक 30 नवम्बर 2022, कार्यालयीन समय तक प्रेषित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।


(नीलम पदुम एल्मा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

| निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2022 कार्यालयीन समय तक प्रेषित किया जा सकता है। | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला उपभोक्ता आयोग, दुर्ग में महिला सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क्र. | जिले का नाम जहाँ सदस्य पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाये जाने के कारण |
| 1 | जिला- दुर्ग, रायपुर | डॉ. तान्या जायसवाल, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 2 | दुर्ग | श्रीमती अलका देशमुख | अपात्र 1.दिनांक 27.06. 2009 से 21.01.2016 तक विधि व्यवसाय 2. दिनांक 22.01.2016 से 21.01.2021 तक 05 वर्ष जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव में सदस्य के रूप में कार्यरत रही है। 3. दिनांक 22.01.2021 से वर्तमान तक विधि व्यवसाय 4. उपरोक्त कुल कार्यानुभव 15 वर्ष से कम होने के कारण। |
| 3 | दुर्ग | श्रीमती सुस्मिता मिश्रा, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |

18

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | दुर्ग | श्रीमती पूजा चंद्राकर | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 5 | दुर्ग | श्री अरुण प्रकाश पाठक | अपात्र दुर्ग जिला में विज्ञापित पद महिला सदस्य के लिये आरक्षित है । |
| जिला उपभोक्ता आयोग, कोरबा में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है । | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | बिलासपुर, जांजगीर- चांपा, कोरबा, | श्री कांतिलाल साहू | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । 3. आवेदन सदस्य के पद किन्तु आवेदित पद का नाम अध्यक्ष |
| 2 | कोरबा, बेमेतरा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा | श्री संतोष कुमार सोनी, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

58

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | कोरबा | डॉ. महेश पटेल | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 4 | कोरबा | श्री बन्टी शर्मा | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 5 | कोरबा, रायगढ़ जांजगीर-चांपा | श्री राकेश कुमार शुक्ला, | अपात्र सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उल्लेखित नहीं होने के 15 वर्ष से विधि व्यवसायरत है । नियमानुसन्सार 15 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 6 | कोरबा | श्री संतोष कुमार मिश्रा | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 7 | कोरबा | श्री अशफाक अली | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | कोरबा | श्री अजय कुमार द्विवेदी | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश/जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 9 | कोरबा | श्री कमलेश कुमार श्रीवास, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 10 | कोरबा | श्री मदन गोपाल तिवारी, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| जिला उपभोक्ता आयोग, कोरबा में महिला सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | कोरबा | श्रीमती रेखा त्रिपाठी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |



| | | | |
|---|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | कोरबा | श्रीमती बीता चक्रवती | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 3 | कोरबा | श्रीमती मीरा कंवर | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 4 | कोरबा | श्रीमती गीता कुलदीप | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 5 | कोरबा | श्रीमती प्रिया अग्रवाल | अपात्र जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर में दिनांक 10.04.2012 से 09.04.2012 तथा 26.10.2017 से 25.10.2022 तक लगातार 02 कार्यकाल सदस्य के पद पर कार्यरत रही है। उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम 10 के प्रावधान से संदर्भ में । |

| | | | |
|---|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | कोरबा | सुश्री उमा यादव | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 7 | कोरबा | श्रीमती भोजकुमारी राजवाड़े | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 8 | कोरबा | श्रीमती अलका देशमुख | अपात्र 1.दिनांक 27.06. 2009 से 21.01.2016 तक विधि व्यवसाय 2. दिनांक 22.01.2016 से 21.01.2021 तक 05 वर्ष जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव में सदस्य के रूप में कार्यरत रही है । 3. दिनांक 22.01.2021 से वर्तमान तक विधि व्यवसाय 4. उपरोक्त कुल कार्यानुभव 15 वर्ष से कम होने के कारण । |
| 9 | कोरबा | श्रीमती रेखा शर्मा | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | कोरबा | श्रीमती भोजकुमारी राजवाड़े | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| जिला उपभोक्ता आयोग, रायपुर में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है । | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | रायपुर, रायगढ़, जांजगीर— चांपा, कांकेर | श्री गजानंद जैन, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 2 | रायपुर, गरियाबंद | श्री रमेश कुमार देवांगन | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 3 | रायपुर | श्री मनोज कुमार मिश्रा | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 4 | रायपुर | श्री सुनील रॉय | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

18

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | रायपुर, कोरबा, बेमेतरा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, | श्री आनन्द कुमार दुबे | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 6 | रायपुर | श्री प्रफुल्ल कुमार | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| जिला उपभोक्ता आयोग, रायपुर में महिला सदस्य के रिक्त कुल 01 पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | रायपुर | श्रीमती पूनम पटेल तिवारी | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 2 | रायपुर | श्रीमती शारदा सोनी | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 3 | विज्ञप्त जिला कमानुसार:-रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम | श्रीमती अंजली पांडेय | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |

18

| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, जांजगीर- चांपा, कांकेर, गरियाबंद, रायगढ़, कोरबा, कबीरधाम, दन्तेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर, रामानुजगंज | श्रीमती नीलम अरोरा | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नही है। |
| 5 | रायपुर | श्रीमती अलका देशमुख | अपात्र 1.दिनांक 27.06. 2009 से 21.01.2016 तक विधि व्यवसाय 2. दिनांक 22.01.2016 से 21.01.2021 तक 05 वर्ष जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव में सदस्य के रूप में कार्यरत रही है । 3. दिनांक 22.01.2021 से वर्तमान तक विधि व्यवसाय 4. उपरोक्त कुल कार्यानुभव 15 वर्ष से कम होने के कारण। |
| 6 | रायपुर, गरियाबंद, कांकेर, बेमेतरा | श्रीमती मालती यादव, | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नही है। |
| 7 | रायपुर, कोरबा, बेमेतरा, दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़, | श्रीमती गुन्जा दूबे | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नही है। |

28

| | | | |
|----|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | रायपुर | श्रीमती प्रिया अग्रवाल | अपात्र जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर में दिनांक 10.04.2012 से 09.04.2012 तथा 26.10.2017 से 25.10.2022 तक लगातार 02 कार्यकाल सदस्य के पद पर कार्यरत रही है। उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम 10 के प्रावधान से संदर्भ में । |
| 9 | रायपुर | श्रीमती निरूपमा प्रधान | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 10 | रायपुर | श्रीमती सुस्मिता मिश्रा | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 11 | रायपुर | श्रीमती अर्चना त्रिपाठी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | रायपुर | श्रीमती अलका देशमुख | अपात्र 1.दिनांक 27.06. 2009 से 21.01.2016 तक विधि व्यवसाय 2. दिनांक 22.01.2016 से 21.01.2021 तक 05 वर्ष जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव में सदस्य के रूप में कार्यरत रही है । 3. दिनांक 22.01.2021 से वर्तमान तक विधि व्यवसाय 4. उपरोक्त कुल कार्यानुभव 15 वर्ष से कम होने के कारण। |
| 13 | रायपुर, दुर्ग | रितु मिश्रा | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 14 | रायपुर | यामिनी रमेश | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| जिला उपभोक्ता आयोग, जांजगीर-चांपा में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायपुर | श्री कांतिलाल साहू | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

02

| | | | |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | जांजगीर- चांपा | श्री शत्रुहन दास मानिकपुरी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 3 | जांजगीर- चांपा | श्री अजय सराफ | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 4 | जांजगीर- चांपा, कोरबा, रायगढ़, रायपुर | श्री मनरमण सिंह, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

✓

| | | | |
|---|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | जांजगीर- चांपा | श्रीमती अलका देशमुख | <p>अपात्र</p> <p>1.दिनांक 27.06. 2009 से 21.01.2016 तक विधि व्यवसाय</p> <p>2. दिनांक 22.01.2016 से 21.01.2021 तक 05 वर्ष जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव में सदस्य के रूप में कार्यरत रही है ।</p> <p>3. दिनांक 22.01.2021 से वर्तमान तक विधि व्यवसाय</p> <p>4. उपरोक्त कुल कार्यानुभव 15 वर्ष से कम होने के कारण।</p> |
| 6 | जांजगीर- चांपा | सुश्री संतोषी राठौर | <p>अपात्र</p> <p>उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।</p> |
| 7 | जांजगीर- चांपा | श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल | <p>अपात्र</p> <p>उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।</p> |

18

| | | | |
|----|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | जांजगीर- चांपा | श्री लक्ष्मीनाथ भगत | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 9 | जांजगीर- चांपा | डॉ. महेश पटेल | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 10 | जांजगीर- चांपा | श्री विजय कुमार ठेठवार | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 11 | जांजगीर- चांपा | श्री दुजेराम ज्योति | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

| 12 | जांजगीर- चांपा | श्री मुनीव शुक्ला | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | जांजगीर- चांपा | सुश्री उमा यादव | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 14 | जांजगीर- चांपा | श्रीमती तान्या अनुरागी पाण्डेय | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| जिला उपभोक्ता आयोग, रायगढ़ में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | रायगढ़ | श्री विनोद कुमार तिवारी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

२२

| | | | |
|---|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | रायगढ़, | श्री दयानिधि साहू | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 3 | रायगढ़ | श्री जय प्रकाश जायसवाल | अपात्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । (छ.ग. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र) 2. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र 2016 से वर्तमान तक है । 3. विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 4 | रायगढ़ | डॉ. महेश पटेल | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 5 | रायगढ़ | श्री गोवेश कुमार नायक, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

✓

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | रायगढ़ | श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 7 | रायगढ़ | श्री दिपक कुमार मोड़क | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| जिला उपभोक्ता आयोग, रायगढ़ में महिला सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, कोरबा, चांपा, दंतेवाड़ा | श्रीमती चन्द्रकांति नायक, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 2 | रायगढ़ | श्रीमती अलका देशमुख | अपात्र 1.दिनांक 27.06. 2009 से 21.01.2016 तक विधि व्यवसाय 2. दिनांक 22.01.2016 से 21.01.2021 तक 05 वर्ष जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव में सदस्य के रूप में कार्यरत रही है। 3. दिनांक 22.01.2021 से वर्तमान तक विधि व्यवसाय 4. उपरोक्त कुल कार्यानुभव 15 वर्ष से कम होने के कारण। |

18

| | | | |
|---|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | रायगढ़ | श्रीमती श्रद्धा गुप्ता | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 4 | रायगढ़ | सुश्री उमा यादव | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 5 | रायगढ़ | श्रीमती अलका देशमुख, | अपात्र 1.दिनांक 27.06. 2009 से 21.01.2016 तक विधि व्यवसाय 2. दिनांक 22.01.2016 से 21.01.2021 तक 05 वर्ष जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव में सदस्य के रूप में कार्यरत रही है । 3. दिनांक 22.01.2021 से वर्तमान तक विधि व्यवसाय 4. उपरोक्त कुल कार्यानुभव 15 वर्ष से कम होने के कारण । |

जिला उपभोक्ता आयोग, कांकेर में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची

| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर | श्री ईश्वर लाल यदु, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | कांकेर, दन्तेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा | श्री कौशिक पाण्डे | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| जिला उपभोक्ता आयोग, कांकेर महिला सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है । | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | कांकेर | श्रीमती कमला गुप्ता, | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 2 | कांकेर, बीजापुर, सुकमा | कु. कोतिमा यदु | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 3 | कांकेर | श्रीमती पूनम पटेल तिवारी | अपात्र विधि के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य करने के संबंध सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश /जिला विधिक प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 4 | कांकेर | श्रीमती पुष्पा खिलाड़ी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अथशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

18

जिला उपभोक्ता आयोग, कबीरधाम-कवर्धा में महिला सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची

| क्र. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर, कोरबा | श्रीमती दीपादास | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 2 | कबीरधाम, रायपुर, दुर्ग | श्रीमती चेतना सिंह | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 3 | कबीरधाम | श्रीमती अलका देशमुख, | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 4 | कबीरधाम, दुर्ग | श्रीमती लता सोनी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |



| | | | |
|---|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | कबीरधाम | श्रीमती कविता कश्यप | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 6 | कबीरधाम | श्रीमती निशा चन्द्रवंशी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 7 | कवर्धा | श्रीमती नारायणी घृतलहरे | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

जिला उपभोक्ता आयोग, बेमेतरा में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची

| क्र. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है । | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | बेमेतरा, रायपुर, जांजगीर-चांपा | श्री सुरेन्द्र कुमार पान्डेय | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |

12

| जिला उपभोक्ता आयोग, बेमेतरा में महिला सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | कवर्धा, बेमेतरा | श्रीमती सविता अवस्थी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 2 | बेमेतरा | श्रीमती पूनम पटेल तिवारी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 3 | बेमेतरा | श्रीमती निवेदिता जोशी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| 4 | बेमेतरा | श्रीमती नारायणी घृतलहरे | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |


18

| जिला उपभोक्ता आयोग, बलरामपुर-रामानुजगंज में महिला सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | बलरामपुर-रामानुजगंज | श्रीमती किरण जायसवाल | अपात्र जिला उपभोक्ता आयोग अम्बिकापुर में लगातार 02 कार्यकाल में सदस्य के रूप में कार्य पूर्ण किया। अतः उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम 10 के प्रावधान से संदर्भ में। |
| 2 | बलरामपुर-रामानुजगंज | श्रीमती रंजिता गुप्ता | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 3 | बलरामपुर-रामानुजगंज | श्रीमती खुशबु गुप्ता, | अपात्र 1. उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में किये गये कार्य के विवरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। |

72

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | बलरामपुर— रामानुजगंज कोरबा | हेमन्ती प्रजापति | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| 5 | बलरामपुर— रामानुजगंज | श्रीमती ममता मेहता | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| जिला उपभोक्ता आयोग, दंतेवाड़ा में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर | श्री श्याम सिंह ठाकुर | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। |
| जिला उपभोक्ता आयोग, बीजापुर में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है। | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | बीजापुर | श्रीमती प्रभा गहरवार | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |
| जिला उपभोक्ता आयोग, गरियाबंद में सदस्य के रिक्त कुल 01 पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची | | | |
| क. | जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है । | आवेदक का नाम | निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण |
| 1 | गरियाबंद | श्रीमती साधना ठाकुर नैनी | अपात्र उपभोक्ता मामले विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन,, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का कार्यानुभव होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । |


 (नीलम पदुम एल्मा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग